राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का इकत्तीसवां दिवस [संख्या : 12

गुरुवार,

17 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा'।

नदबई विधान सभा क्षेत्र के निर्माणाधीन ग्रिड सब-स्टेशन

199. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** (नदबई): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नदबई में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं? यदि हां, तो इनको किन-किन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभी हाल में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन डहरा मोड, नदबई में स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

(3) क्या यह सही है कि 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन मदरियापुरा (रूपवास) में स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो उक्त का कार्य पूर्ण कर कब तक चालू कर दिया जाएगा? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन की प्रतिपक्ष की नेता ने इस सदन के अन्दर जिस तरह से मुझे बुलाकर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या हो रहा है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): और धमकाया और जिस तरह से जान से मारने की धमकी दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि मैं 96 लोगों को देख लूंगी, तुम्हारे सदन के नेता को देख लूंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल में यह नहीं होता। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सदन ...(व्यवधान) मेरी जान को खतरा है और मेरे विशेषाधिकार का हनन किया है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल होने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): और यह भी कहा है उन्होंने ...(व्यवधान) यह परम्परा इस सदन के अन्दर अगर पड़ जाएगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल चलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पिछली बार भी सदन के अन्दर मेरी पत्नी के बारे में जिस तरह की ऊल-जलूल टिप्पणियां माननीय सदस्यों ने की थीं ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहती हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल को कृपया चलने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं इस सदन के अन्दर हो रही हैं। यहां कई सारे विधायक बैठे हुए थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्न काल के बाद आप दोनों पक्ष ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शर्मनाक पहलू इस राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में है। जो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल चलने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो बहुत बड़ी नेत्री हैं, ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री रही हैं इस प्रदेश की, आज नेता, प्रतिपक्ष हैं, अगर वे विधायकों को बुला-बुलाकर इस तरीके से डांट पिला देंगी, धमकी देंगी तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दें।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे और मेरे परिवार को, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप तय करिए कि किसकी होगी। (व्यवधान) यह सदन के लिए गरिमापूर्ण बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): यह माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। माननीय सदस्य को ...(व्यवधान) यह आज जो अख़बार में आया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आसन पांवों पर। एक मिनट। (व्यवधान) मैं दोनों पक्षों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीरो आवर में आपको नियमानुसार ...(व्यवधान) प्लीज, जीरो आवर में मैं आपको समय दे दूंगा, प्रश्न काल कृपया हो जाने दीजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन): हां, ठीक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। माननीय सदस्यगण प्रश्न काल के लिए चिंतित होकर, तैयारी करके इंतजार करते हैं कि किसी तरह मेरा प्रश्न आए। महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा हो जाए। कोई गजब नहीं ढह जाने वाला है। एक घंटे बाद में मैं आपको समय दे दूंगा, यह प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न काल कृपया हो जाने दीजिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य की जिन्दगी का और उसके परिवार की जिन्दगी का सवाल है। इसको मजाक मत बनाइये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या है? यह मजाक है क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस सदन के अन्दर माफी मांगनी पड़ेगी इनको । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या मजाक है?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे को, कई सारे विधायक यहां पर बैठे हुए थे, उनके सामने जिस तरह से इन्होंने कहा, यह तरीका नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन चलाना चाहते हैं। (व्यवधान) हम सदन चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह इस सदन के अन्दर काला दिन भी होगा, कलंक का दिन होगा। जब एक इतने बड़े पद पर बैठे हुआ कोई व्यक्ति अगर साधारण सदस्य को कल आम विधायकों के बीच में आकर और इस तरह की हरकत करे, क्या संदेश देना चाहते हैं लोकतंत्र के अन्दर हम? किस तरह से आप ...(व्यवधान) बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में दो दिन से मेरी ओर इंगित करके कही गई टिप्पणी को लेकर गतिरोध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस सदन से राजस्थान की जनता अपेक्षा करती है कि सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष दोनों मिलकर जन-भावनाओं के अनुरूप समस्याओं का निराकरण करें। प्रदेश के विकास में दोनों मिलकर सकारात्मक भागीदारी निभाएं। सदन का अमूल्य समय जनता के लिए सार्थक बहस के लिए है, व्यक्तिगत लांछन के लिए नहीं। इसके बावजूद भी आप मेरे बारे में जो भी टिप्पणियां करना चाहें, करें। मैं एक महिला हूं और महिलाओं में बहुत सहनशक्ति होती है। एक महिला होने के कारण मुझे प्रदेश की जनता के लिए अपमान का घूंट भी पीना पड़े तो मैं तैयार हूं परन्तु यह सदन सुचारु रूप से चले, इसके लिए मैं ही नहीं, पूरा प्रतिपक्ष तैयार है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अगर सदस्यों की जान-माल की सुरक्षा करने वाले, संरक्षण देने के लिए ...(व्यवधान) मैं आपसे अपील करता हूं। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): पहले माफी मांगें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मुझे संरक्षण दिलवाइये और मेरे परिवार को संरक्षण दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): पहले सदन से माफी मांगें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): और इस तरह की हरकतों से ...(व्यवधान) यह राजस्थान के इतिहास में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार हुआ है। कभी नहीं हुआ। (व्यवधान) माफी मंगवाइये आप और तब ही इस सदन की

(डा. रघु शर्मा)
कार्यवाही चलेगी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरे परिवार को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि ...(व्यवधान)

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): यह कोई स्थान, ...(व्यवधान) राजा-महाराजाओं का सदन नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे परिवार की जिन्दगी का सवाल है, आप कुछ करायें। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी के बारे में यह कहें कि ...(व्यवधान) देख लूंगी, सारे 96 विधायकों को देख लूंगी। (व्यवधान) विधायकों को देख लेंगे। ये हरकतें राजस्थान के लोकतंत्र के लिए काले दिन के रूप में रहेंगी। इसलिए मुझे आपसे संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.04 बजे 12.04 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय : 12.04 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

स्पष्टीकरण

श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष का स्पष्टीकरण

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, हमारे सदस्य के खिलाफ जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने धमकी दी है, उसके लिये आप क्या रक्षा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, ऑन ए पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आप सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं ...(व्यवधान) पहले यह तो बता दें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): सभापति महोदय, यह तो बता दें, माननीय सदस्य की क्या व्यवस्था है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नीचे बैठ जाओ, पहले बोलने तो दो इनको। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): आप यह बता दें, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को धमकियां दी जा रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने अनर्गल, बेबुनियाद, असत्य बातें कहीं, उनसे मैं ही नहीं, सारा सदन आश्चर्यचकित एवं हतप्रभ है। (व्यवधान) मैं उनके द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करती हूं। (व्यवधान) ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। यह मामला सदन के नेता के समक्ष भी आया होगा। (व्यवधान) वे चाहते तो इस विषय में मुझसे फोन पर तो सत्यता की जानकारी ले सकते थे। पर मुझे अफसोस है कि उन्होंने भी इस संबंध में मुझसे कोई बातचीत नहीं की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): हम अब भी प्रदेश हित में सदन चलाना चाहते हैं, देश के अन्नदाता, किसानों से जुड़े विषय, कृषि और पशुपालन पर बहस करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष की नेता महोदय धमकी दे रही हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनको जान का खतरा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है, वह भी दुर्भाग्य से नेता प्रतिपक्ष द्वारा। (व्यवधान) सदन के अन्दर इस तरह का माहौल और किस तरह का वातावरण देना चाहते हैं? (व्यवधान) आज मैं आपसे कहना चाहता हूं पेयजल पर बहस है। ये इस लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): पहले आप माफी मांगो। (व्यवधान) पहले माफी मंगवाई जाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रतिपक्ष की नेता को एक्सप्लेनेशन नहीं देने दिया जा रहा..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान में लोगों को मरवा दिया। (व्यवधान) आज विधायक को धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जिस तरह से ये सलाहकार मंडल के सदस्य हैं...(व्यवधान) और अपने नेता से करवाते हैं ये। (व्यवधान) घटना है।

(डा. रघु शर्मा)

तारानगर से आने वाले, यह बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान) सदन के अन्दर जिस तरह की परम्पराएं तार-तार की हैं ..(व्यवधान) धमकाकर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरह की घटनाओं ...(व्यवधान) सदन में क्या बचेगा? सभापति महोदय ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वसुन्धरा जी माफी मांगो। (व्यवधान)

सदन कूप में नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह रोने लगे सदन के अन्दर ...(व्यवधान) जिस तरह का इतिहास रहा है, जिस तरह का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। (हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया।)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): ×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): ×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.11 बजे 13.11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय : 13.11 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा को खराब किया गया है, प्रतिपक्ष की नेता सदन से माफी मांगें। (व्यवधान) एक विधायक के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पत्र के साथ हम आपका ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की नेता ने 25-30 माननीय सदस्यों, विधायकों के सामने माननीय विधायक श्री रघु शर्मा को बुलाकर ...(व्यवधान) सभी 96 विधायकों को देख लेने की धमकी दी है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वसुन्धरा जी माफी मांगें। वसुन्धरा जी माफी मांगो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कुत्ते को गोली किसने मारी? कुत्ते को गोली क्यों मारी? (भारी व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सदन से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप स्वयं, सभी सदस्य और मंत्री और मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत भी शामिल हैं। राजस्थान का इतिहास ... (व्यवधान) यह पहली घटना है। राज्य की 6 करोड़ जनता का अपमान है। (व्यवधान) साथ ही माननीय सदस्य के परिवार के जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कुत्ते को गोली किसने मारी? कुत्ते को गोली क्यों मारी? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): वसुन्धरा जी माफी मांगो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले सदस्य ने जो अनर्गल, बेबुनियाद, असत्य बातें सदन में कहीं, ...(व्यवधान) सारा सदन आश्चर्यचकित एवं हतप्रभ है। मैं उनके द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करती हूं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। (व्यवधान) सदन के नेता के समक्ष भी आया होगा। वे चाहते तो इस विषय में मुझसे फोन पर तो सत्यता की जानकारी ले सकते थे पर मुझे अफसोस है कि उन्होंने भी इस सम्बन्ध में मुझसे कोई बातचीत नहीं की। (व्यवधान) हम अब भी प्रदेश हित में सदन चलाना चाहते हैं। देश के अन्नदाता, किसानों से जुडे विषय कृषि और पशुपालन पर बहस करना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पूर्व मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे को ...(व्यवधान) कोई नैतिक अधिकार नहीं है। (व्यवधान) इससे पूर्व में भी यह और इनकी पत्नी, जो साधारण महिला हैं ...(व्यवधान)... जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में इतनी अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी ...(व्यवधान) जिसका पूरा सदन गवाह है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माफी मांगो, माफी मांगो।

(कांग्रेस पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों से नारे)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनका यह आचरण दर्शाता है कि इनके मन में न तो इस सदन के प्रति सम्मान है, न ही सदस्य के परिवार की महिलाओं के प्रति ...(व्यवधान) इनका लगातार आचरण दर्शाता है कि ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी हद तक जा सकती हैं और बिना सत्ता के रहना इनकी फितरत में नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनका हर आचरण ...(व्यवधान) इनकी फितरत है, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इससे यह भी साबित होता है कि ये सामन्ती विचारधारा की ऐसी महिला हैं जिनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है ...(व्यवधान)... और यही कारण है कि इनके रहते हुए षड़्यंत्रपूर्वक मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत को चौथी बार अपना वक्तव्य नहीं देने दिया गया है। (व्यवधान) एक सोची-समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में ईंट भट्ठा मजदूरों को केरोसीन वितरण बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(2) श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(3) श्री सुखराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में विद्युत की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले के हींच गांव के दो व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(5) डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से दारिया मुठभेड़ कांड में सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार इंस्पेक्टर पर राजनेताओं एवं पुलिस के आला अधिकारियों के नाम लेने का दबाव बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए। (व्यवधान)

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। माननीय सदस्यों को सम्बन्धित विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे इस माननीय सदस्य और उसके परिवार को सुरक्षा दें और नेता प्रतिपक्ष अपने कृत्य के लिए ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभ नगर): एक सोची-समझी साजिश है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य के पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाय और इनके नेता जी माफी मांगें। (व्यवधान) माफी मांगें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नेता प्रतिपक्ष पूरे सदन के सामने माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी मांगें, माफी मांगो। (व्यवधान) पहले माफी मांगो।

(कांग्रेस पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों से नारे)

श्री अध्यक्ष: (6) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप पुन: आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(7) श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(8) डा. फूलचन्द भिण्डा, एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान में महिला शिक्षा की बिगड़ती स्थिति से उत्पन्न चर्चा के लिए। (व्यवधान)

(9) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप में चूरू नगर परिषद के आयुक्त की गिरफ्तारी के बाद भी विभाग द्वारा निलम्बित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री फूलचन्द भिण्डा एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनका जो आचरण है, इस सदन की ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी मांगो पहले। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सदस्य को धमकाना और डराना, वसुन्धरा जी माफी मांगें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभ नगर): माफी मंगायी जाय पहले, अध्यक्ष महोदय, और हमें सुरक्षा ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जिस तरह से एक सदस्य के साथ हुआ है, इस तरह का व्यवहार नेता प्रतिपक्ष को ...(व्यवधान) माफी मांगें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार भी वह ही किया गया जो पिछली बार किया गया। (व्यवधान) इस तरह से अगर सदन के नेता को बोलने नहीं देंगे, ये इस सदन की सारी परम्पराओं को ध्वस्त करने की कोशिश करती हैं। (व्यवधान) इनके जो सलाहकार हैं, इनके साथ मिलकर और षड्यंत्र रचा जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कुत्ते को गोली किसने मारी? (व्यवधान) पहले माफी मांगो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजस्थान की विधान सभा में हमने पूरे धैर्यपूर्वक (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी मंगायी जाय, माफी। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): प्रतिपक्ष की नेता माफी मांगें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अपने तरीके से सदन नहीं चलेगा, अगर आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं तो ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे सारे विधायकों की सुरक्षा की बात है। (व्यवधान) माफी मांगी जाय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमने शालीनतापूर्वक इनके वक्तव्य को सुना। (व्यवधान) यह इस सदन के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यह सदन सामन्ती सोच से नहीं चल सकता, सामन्तशाही का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से सदन के नेता को, चाहे वह पिछली बार हो राज्यपाल महोदय के भाषण के जवाब में, चाहे बजट के जवाब में हो, चाहे ...(व्यवधान) राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में हो, इस बार ...(व्यवधान) षड्यंत्रपूर्वक सदन के नेता को बोलने नहीं दिया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों से नारे)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ मुख्यालय पर राजस्व अपील प्राधिकारी का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रबोधकों, शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश कर्मी, मदरसा कर्मियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में।

(3) प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के पुष्कर में रावत समाज के व्यक्तियों की हत्याओं से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील सांचौर में काश्तकारों को अफीम की खेती के पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, अलवर में भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से पाली जिले की तहसील देसूरी में जवाली नदी पर धारिया बांध का जीर्णोद्धार कर सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अब्दुल सगीर खां, सदस्य की ओर से धौलपुर हाइटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में।

(9) श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की लम्बित जल प्रदाय योजना बेडच का नाका को शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कामां में निर्माण सामग्री के अभाव में विधायक निधि, महानरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं के कार्यों में आ रही बाधा के सम्बन्ध में।

(11) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की ग्राम पंचायत गौरेडी चांचा कस्बे में मनरेगा के तहत पक्के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के गांवों में विद्युत विभाग द्वारा हाइटेंशन लाइनें नीति विरुद्ध डालने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, सोची-समझी ...(व्यवधान) इनको माफी मांगनी चाहिए इस सदन से और राजस्थान की 6 करोड़ जनता से। (व्यवधान) इनको बताना चाहिए कि इन्होंने सदन के नेता को क्यों नहीं बोलने दिया? क्यों इन्होंने यह एक तरह की षड्यंत्रपूर्वक

(डा. रघु शर्मा)

कार्यवाही की है? ये राजस्थान की निर्वाचित सरकार का बोलने का अधिकार छीनना चाहते हैं। (व्यवधान) इस तरह का कोई स्थान नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल बाद सत्ता में आने के बाद ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी शामिल हैं, मुख्य मंत्रीजी भी शामिल हैं, सदन के 96 माननीय सदस्यों को देख लेने की धमकी, यह कोई मामूली घटना नहीं है और इस तरह की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: माफी मांगो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनके राज में जो घोटाले हुए हैं 22,500 करोड़ के, उनकी चर्चा होगी; इन्होंने निहत्थे किसानों को, 100 किसानों को मारा, गोलियों से भून दिया, उस पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप हाउस को आर्डर में तो लाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराज जाएं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इन्होंने जो गलतियां कीं, वह चर्चा होगी। ये तो अपना जवाब भी इस तरह से, ये तो ऐसे वक्तव्य कर रही थीं जैसे आज भी ये मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 17.03.2011 को 20 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्न प्रकार हैं : श्री बंशीधर खण्डेला, श्री रामनारायण मीणा, श्री राजकुमार रिणवा एवं श्री ग्यारसाराम कोली। (व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम कुडली (शिवसिंहपुरा, सीकर) में आवासीय योजना हेतु अवाप्त भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्त मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जिन लोगों ने 2003-04 के बीच में ... (व्यवधान) इनका इतिहास पापों से भरा पड़ा है, +++, राजस्थान के मासूम किसानों को गोली के घाट उतारा है, जिन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार की गंगा बहायी है, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, आज प्रतिपक्ष में बैठकर के भी इनके सत्ता का मद खतम नहीं हुआ। (व्यवधान) तीन साल पहले धमकी देने की जो वारदात है, यह इनकी लोकतंत्र ...(व्यवधान) का प्रतीक है। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों से नारे)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार जी धारीवाल, गृह मंत्री वित्त विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। ...(व्यवधान)...

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-159 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-160 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
3. अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-161 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-162 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-163 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा हस्तनिर्मित गलीचों के विनिर्माताओं द्वारा राज्य में हस्तनिर्मित गलीचों के विनिर्माण में प्रयुक्त समस्त प्रकार के धागे के क्रय को सशर्त छूट प्रदान की गई है ; एवं

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

6. अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-164 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा पंजीकृत टैंट व्यवहारियों के लिये कम्पोजिशन स्कीम, 2011 अधिसूचित की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री पंचायती राज विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

पंचायती राज विभाग

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.(7) संशो/नियम/विधि/पंरा/2010/450 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि विपणन राज्य मंत्री, कृषि विपणन विभाग की 13 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

कृषि विपणन विभाग

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन) अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित 13 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या : प.4(50)कृषि/ग्रुप-2/97 दिनांक 20.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या : प.15(36)कृषि/ग्रुप-2/92-पार्ट दिनांक 27.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि नियम, 1993 में संशोधन किया गया है ;
3. अधिसूचना संख्या : प.15(24)कृषि/ग्रुप-2/85-पार्ट दिनांक 22.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या : प.4(9)कृषि/ग्रुप-2/09/(नीति-2010) दिनांक 9.7.2010 जिसके द्वारा कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

नीति, 2010 के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्यमों को मण्डी शुल्क से मुक्त किया गया है ;

5. अधिसूचना संख्या : प.4(9)कृषि/ग्रुप-2/09/(नीति-2010) दिनांक 9.7.2010 जिसके द्वारा कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यमों को मण्डी शुल्क उदग्रहण से मुक्त किया गया है ;

6. अधिसूचना संख्या : प.4(36)कृषि/ग्रुप-2/2003-पार्ट दिनांक 28.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण के लिये किये गये निवेश पर मण्डी शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;

7. अधिसूचना संख्या : प.4(36)कृषि/ग्रुप-2/2003-पार्ट दिनांक 28.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 के तहत स्थापित इकाइयों को आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण एवं रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन प्रोत्साहन हेतु किये गये निवेश पर मण्डी शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;

8. अधिसूचना संख्या : प.1(19-सी)डीएएम/रेग्युलेशन/2005 दिनांक 19.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

9. अधिसूचना संख्या : प.1(19-सी)डीएएम/रेग्युलेशन/2005 दिनांक 23.2.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.1(19-सी)डीएएम/रेग्युलेशन/2005 दिनांक 19.1.2011 में संशोधन किया गया है ;

10. अधिसूचना संख्या : प.7(32)कृषि-ग्रुप-2/90 दिनांक 24.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;

11. अधिसूचना संख्या : प.4(22)कृषि-ग्रुप-2/2008 दिनांक 25.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

12. अधिसूचना संख्या : प.4(22)कृषि/ग्रुप-2/2008 दिनांक 25.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणन नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ; एवं

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

13. अधिसूचना संख्या : प.4(22)कृषि/ग्रुप-2/2008 दिनांक 1.3.2011 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2011 में संशोधन किया गया है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माफी मांगें। माफी मांगो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये महिला होने का दावा कर रही हैं, मेरी पत्नी एक साधारण महिला है। (व्यवधान) इस तरह से टिप्पणियां ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने तब भी माफी नहीं मांगी, ये आज भी माफी नहीं मांग रहे। (व्यवधान) इनके इरादे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह लोकतंत्र का मंदिर है, कोई तानाशाही का ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभ नगर): माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन के अन्दर व्यवस्था दी ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य को धमकाया और वसुन्धरा जी माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन को चलने नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):...(व्यवधान) ये राजस्थान की छह करोड़ जनता को धमकाना चाहती हैं ...(व्यवधान) ये हमको धमकाना चाहती हैं ...(व्यवधान) ये राजस्थान के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को धमकाना चाहती हैं ...(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (वर्ष 2010-11) का प्रतिवेदन (संख्या-15)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 18 मार्च, 2011 से 04 अप्रैल, 2011 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, माफी मंगवाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभी माननीय सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया था ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक) :

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011

(1) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-2011 का मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(2) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण।

(3) अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) यह घड़ियाली आंसू हैं ...(व्यवधान) यह पाप से भरा हुआ घड़ा है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक) :

शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2011
रविवार, दिनांक 20 मार्च, 2011 बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2011

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011

(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011,

(2) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011,

(3) रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011

-पर विचार एवं पारण; एवं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(4) अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 (1) राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011,

(2) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011,

(3) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011, व

(4) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 -पर विचार एवं पारण, एवं

(5) अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की नेता से माफी मंगवाई जाए ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनका पेट भरा नहीं है ...(व्यवधान) पाप करने से, यह अत्याचार का प्रतीक है ...(व्यवधान यह भ्रष्टाचार का प्रतीक है और यह ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत: माफी मांगो, माफी मांगो (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: माफी मांगे। माफी मांगे (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को धमकाया जा रहा है। (व्यवधान) वसुन्धरा जी माफी मांगें (व्यवधान) माफी मांगे। माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक) :

गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2011

शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 2011 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2011

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रविवार, दिनांक 27 मार्च, 2011 बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 28 मार्च, 2011 को मतदान हेतु **प्रस्तुत की जाएंगी।)**

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011
1. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इन्होंने आम आदमियों को दहशत और भय के वातावरण में जीने को मजबूर किया है। (व्यवधान) इस तरह के लोगों को ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सदन में मोहनलाल सुखाड़िया ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: माफी मांगे। वसुन्धरा जी माफी मांगें, माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत: अध्यक्ष महोदय, माफी मंगवाओ।

(कांगेस पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों से नारे)

अगर वसुन्धरा जी माफी मांगे तो अभी ...(व्यवधान) हो जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवल (मुख्य सचेतक) :

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011 राज्य में बिजली एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति पर विचार।

गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2011
1. राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011
2. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011,
3. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

4. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 एवं
5. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011

-पर विचार एवं पारण।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): किस तरह के लोग बैठे हैं प्रजातंत्र में। (व्यवधान) गलती से यह सरकार बन गये ...(व्यवधान) तो लोगों का ...(व्यवधान) यह सत्ता के ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवल (मुख्य सचेतक) :

शुक्रवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2011	गैर सरकारी कार्य दिवस।
शनिवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2011	बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2011	
सोमवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2011	राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(कांग्रेस पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों से नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है? ...(व्यवधान) जो पक्ष में हो, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, ना कहें। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो ।

श्री अध्यक्ष: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। (व्यवधान) कार्य सलाहकार समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। (व्यवधान) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नो, नो, नो। (व्यवधान) Noes have it. (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): we want division. (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it. Noes have it. (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): We want division. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.23 बजे 14.23 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय :14.23 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, हमने डिविजन क्लेम किया है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह लोकतंत्र की हत्या हुई है इस राजस्थान के अन्दर और यह प्रतिपक्ष लोकतंत्र में कितना यकीन रखता है, इनकी नेता ने जिस तरह का आचरण इस सदन के अन्दर किया, वह इस राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में शर्मसार करके रखा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, हमने डिविजन क्लेम किया, डिविजन। we claimed division...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर क्लेम किया था। (व्यवधान) मतदान चाहा था हमने इस..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जिन लोगों का इतिहास ऐसा है हिन्दुस्तान के अन्दर...(व्यवधान) वह सत्ता...(व्यवधान) हथियाना चाहते हैं। चुनी हुई सरकार के मुखिया को चुनौती देना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। यह अत्याचार और अन्याय है। यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिस तरह के हालात ये पैदा करना चाहते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर जब 'हां' और 'ना' का था, उसमें हमने डिविजन क्लेम किया और डिविजन मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिये हम चाहते हैं, आप इस पर मतदान कराइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमने डिविजन मांगा था, सभापति महोदय। डिविजन मांगना हमारा अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर ये लोग पहली बार...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, यह लोग एक तरह से गिरे हैं। गिरे हैं...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर जो बात हुई है, बी ए सी की रिपोर्ट पर जो बात आयी है..(व्यवधान) सहमति लिये जाने के बाद अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति जी का नाम पुकार लिया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिविजन क्लेम किया। हमारा जो अधिकार है, अमेंडमेंट देने का अधिकार...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय...(व्यवधान) साथ में हमने कहा, हम कार्य सलाहकार समिति के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। वी वांट डिविजन और यह डिविजन मांगना हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लोकतंत्र में इस तरह की बात के लिये, लोकतंत्र में कोई...(व्यवधान) मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके शासन के दौरान की घटनाओं की जिस तरह लोगों को मौत के घाट उतारा गया पांच साल के अन्दर, जिस तरह के आरोप, 22 हजार करोड़ का घोटाला उन लोगों ने किया...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आसन का यह परम कर्तव्य बनता है कि माननीय सदस्य जब डिविजन मांगते हैं तो डिविजन के लिये...(व्यवधान) करें और उसके बाद भी विपक्ष क्लेम करता है तो हाथों हाथ टाइप होता है...(व्यवधान) और डिविजन के बाद विपक्ष को कितने मत मिले थे, कितने पक्ष में हैं..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भ्रष्टाचार की गंगा बहाई इस पवित्र राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, माफी मंगवायी जाए...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): लोकतंत्र की हत्या हुई है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे परिवार की असुरक्षा करवा कर वे मरवाना चाहते हैं । अगर मैं अकेला असुरक्षित हूं...(व्यवधान) हमारी प्रार्थना है माफी मंगवायी जाए...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और हम डिविजन चाहते हैं। जिस कारण से यह कार्य सलाहकार समिति के...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये सदन से माफी मांगें। इन्होंने प्रश्न बनाया है इस बात को..(व्यवधान) अकारण ये लोग इस सदन के अन्दर जिस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं...(व्यवधान) जो फैसला राजस्थान की 6 करोड़ जनता को लेना है उस फैसले के बारे में ये दम भरते हैं। लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन है तो माफी मांगो। (व्यवधान) शर्म के साथ कहो कि हमने गलत काम किया है...(व्यवधान) भय और आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश की गयी है...(व्यवधान) ये लोग जिस तरह का वातावरण बनाते हैं, यह +++ आ गयी है इस सदन के अन्दर...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपके सामने सारी बात रखी, हम डिविजन चाहते हैं, इसलिये डिविजन कराया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया का नियम 286 याद दिलाना चाहता हूं। नियम 286 के तहत हमारा अधिकार है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। आप हमेशा कहते हैं कि चेयर का मान करना चाहिये, आप चेयर का मान करें। (व्यवधान) आप कृपया विराजिये, कृपया व्यवस्था बनाये रखिये, मैं अपनी व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं नियम की बात कर रहा हूं। आपको व्यवस्था देनी चाहिये। हमने आसन से प्रार्थना की है...(व्यवधान) इसलिये मेरा निवेदन है, लाबी क्लीयर कराइये, डिविजन कराइये और डिविजन के ऊपर... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, जिस तरह का असत्य ये बोलते हैं, अखबारों में कह रहे हैं कि मैं मजाक कर रही थी और इस सदन में आकर कह रहे हैं कि हम असत्य और निराधार बात कर रहे हैं। जिस चीज की गवाही 25 विधायकों ने दी है और बात इन्होंने इस सदन के अन्दर कही है..(व्यवधान) मिथ्या बात करने वाली नेता प्रतिपक्ष की।

(डा. रघु शर्मा)

(व्यवधान) जितने ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं उन पदों के अनुरूप आप आचरण नहीं करेंगे तो यह...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आज इन बातों की ओर आप ध्यान दें कि जिस विषय को आप उठा रहे हैं, वह विषय आपके सन्दर्भ में नहीं है...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये, कृपया आप विराजिये, व्यवस्था देने दीजिये। मैं खड़ा हुआ हूं, कृपया विराजिये। (व्यवधान) मैंने व्यवस्था कोई नहीं दी है। अब आप अपनी जगह बैठें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनसे बिना शर्त माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह मैं आपसे भी...(व्यवधान) कृपया विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इज्जत का प्रश्न बना रखा है। (व्यवधान) इस सदन से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो गलती के लिये माफी मांगेगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपा करके...(व्यवधान) आप कोई व्यवस्था नहीं चाहते? ठीक है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस सदन के अन्दर समझते हैं...(व्यवधान) यह राजस्थान की 6 करोड़ जनता से आप...(व्यवधान) लाठी और गोली की बातों में...(व्यवधान) फिर लोगों को धमका रहे हैं। भय का, आतंक का वातावरण बना रखा है। यह शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बताओ। आपके जो सदस्यगण हैं, वे विराजें। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): माफी मंगवाओ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तो यह सदन...(व्यवधान) किस तरह का वातावरण इन्होंने दिया है। यह नहीं चलेगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: अगर आप व्यवस्था चाहते हैं तो कृपया विराजिये। आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनसे माफी मंगवायी जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं सचेतक महोदय से कहना चाहूंगा कि आप सदस्यों को कहें। व्यवस्था देनी है तो...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माफी मंगवाइये। इज्जत का प्रश्न क्यों बना रखा है? जो गलती करेगा तो माफी मांगेगा। (व्यवधान) इज्जत का प्रश्न क्यों बना रखा है ? जिस तरह का आचरण...(व्यवधान)

श्री सभापति: व्यवस्था चाहते हैं? आप इधर देखिये। (व्यवधान) मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है, मैंने डिविजन के लिये कोई व्यवस्था नहीं दी है। कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, यह मेरा प्रश्न है कि मुख्य मंत्रीजी को इन्होंने बोलने नहीं दिया। यह षड्यंत्र कर रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। (व्यवघान)

श्री सभापति: मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। ना ही डिविजन क्लेम रिजेक्ट किया है, न असेप्ट किया है। (व्यवधान) आप व्यवस्था सुनें और बैठें। जब तक आप नहीं बैठेंगे, आसन कोई व्यवस्था नहीं देगा। यह बहुत स्पष्ट है। आप बैठें, आसन का मान करें। आप कृपया विराजें (व्यवधान) आप कृपया विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय ...(व्यवधान) माफी मंगवा दीजिये आप (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी मंगवायें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माफी मंगवा दीजिये। क्या इज्जत का प्रश्न बना रखा है? (व्यवधान) अगर आप सरेआम सदन के अन्दर पूरे के पूरे सत्ता पक्ष को धमकाने का दुस्साहस कर सकते हैं और फिर माफी मांगने के लिये तैयार भी नहीं हैं। यह कैसा आचरण है? यह सामंती आचरण नहीं तो क्या आचरण है? सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नो, नो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं एक बार फिर सदन से निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान) कृपया बिराजें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है ...(व्यवधान) ये माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया बिराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इनको शर्म आनी चाहिये। यह लोकतंत्र के हत्यारे क्यों बन रहे हैं इस सदन के अन्दर? (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं व्यवस्था देने के लिए बाध्य हूं आपके निवेदन पर, आप कृपया विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जिन लोगों ने निर्दोष लोगों का खून इस राजस्थान के अन्दर बहाया हो, जिन लोगों का इतिहास काला रहा हो ...(व्यवधान) जिन्होंने बंदूक की गोलियां बरसायी हों ...(व्यवधान) राजस्थान के मासूम लोगों पर ...(व्यवधान) 22,500 करोड़ का घोटाला मामूली घोटाला नहीं है। (व्यवधान) भ्रष्टाचार की नदियां बह गयीं। इनके मंत्री कहते थे, इनकी पार्टी के नेता ने 5 हजार करोड़ का घोटाला लगाया। भैरोंसिंह शेखावत जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उप-राष्ट्रपति रहे इस देश के, तीन बार मुख्य मंत्री रहे राजस्थान के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपया विराजें, मैं दे रहा हूं व्यवस्था। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उन्होंने आरोप लगाया कि 22,500 करोड़ जो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई है ...(व्यवधान) इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। (व्यवधान)

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): 22,500 करोड़ का ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कौनसे नियमों में ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): राजस्थान की जनता को लूट लिया है। (व्यवधान) बोर्डर को बेचने वाले ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आपकी गरिमा के खिलाफ है। 90-बी के नाम पर घोटाले करने वाले ...(व्यवधान) गुर्जरों पर गोली चलाने वाले ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कोई अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): अत्याचार करने वाले ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बैठें, श्रीमान्। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अपमानजनक टिप्पणी की गयी है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++ ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): चुप हो जा ...(व्यवधान) विधान सभा में पहली बार ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++ ...(व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): राजस्थान की 6 करोड़ जनता देख रही है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++ ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: +++ ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अगर आप व्यवस्था चाहते हैं तो आप विराजिये। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) आप विराजेंगे नहीं तो मैं व्यवस्था नहीं दूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस तरह से कर रहे हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, इस तरह की स्थितियां लोकतंत्र में आयी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: +++ ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): विचारों की धज्जियां उड़ा दीं और आज ये सदन के अन्दर बोलना चाहते हैं। (व्यवधान) यह लोग किसानों को लूटते ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): किसानों की हत्या ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपका जो निवेदन है, उसको ना तो रिजेक्ट किया है, ना एक्सेप्ट किया। मैं व्यवस्था दे रहा हूं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजस्थान का जन-जीवन दो-दो महीने ठप्प रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें, यह मेरा निवेदन है। Please take your seats. If you are interested in running the House, then please take your seats. This is my request to you... मैं फिर एक बार स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर आप विराजेंगे नहीं तो मैं व्यवस्था देने में असमर्थ रहूंगा। कृपया विराजें, व्यवस्था सुनें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। That's better.

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के

(श्री सभापति)

संबंध में मतदान (डिविजन) की मांग की गयी थी। कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के पश्चात् मैंने महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-11 के दो प्रतिवेदनों को ...(व्यवधान) सदन में उपस्थापित किये जाने हेतु श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ...(व्यवधान) का नाम पुकार लिया था। अतः श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर की गयी मतदान की मांग को मैं अस्वीकार करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नो, नो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नो, नो। (व्यवधान) अन्याय है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह लोकतंत्र है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह आसन को डिक्टेट करना चाहते हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, ये लोग लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं। (व्यवधान) मैंने पहले ही कहा था ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अमर्यादित व्यवहार करने वाले ...(व्यवधान) सदस्यों को परम्पराओं का निर्वहन ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अध्यक्ष महोदय, आसन को धमकाने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को धमकाने की कोशिश की जा रही है ...(व्यवधान) जनता को धमकाने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): आसन के ऊपर अंगुली उठायी जा रही है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): We want division. (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अशोभनीय आचरण है ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आसन को धमकाने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नजर आ रहा है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ओम बिरला जी, चुटकियों से काम नहीं चलेगा अब। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पराकाष्ठा है अब ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जो किया गया उससे नाखुश होकर के ...(व्यवधान)

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): आसन को धमकाया जा रहा है।(व्यवधान) आसन को धमकाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): आसन का सम्मान किया जाये। (व्यवधान)

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): ऐसे नहीं चलेगा अब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप कुर्सी छोड़ें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आसन का सम्मान करना सीखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: The House is adjourned for half an hour. सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.35 बजे 15.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय : 15.05 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की बैठक आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.05 बजे 15.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय : 15.35 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता व्यास – अनुपस्थित।

श्री शंकरलाल अहारी।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (वर्ष 2010-11) (क्रम सं. 5)

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2007-08 बारहवीं विधान सभा में समाविष्ट राज्य के भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली एवं दौसा जिलों

(श्री शंकर लाल अहारी)

के दिनांक 2.2.2006 से 7.2.2006 तक के तत्स्थानीय अध्ययन दौरे के संबंध में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के पांचवें परिपालनात्मक प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री पवन दुग्गल

(अनुपस्थित)

श्री बाबूलाल खराड़ी

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह रावत

(अनुपस्थित)

श्री जगसीराम

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण मीणा

(अनुपस्थित)

घोषणा

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे मान लिये जाते हैं कि इस सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और उप मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वतः ही मान लिया

(श्री सभापति)

जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वापस लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ ही उस समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता द्वारा अन्य प्रमुख सदस्य, जिनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सकें, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37–कृषि की प्रस्तुति

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,14,55,55,000/- (ग्यारह अरब चौदह करोड़ पचपन लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए। (व्यवधान)

(मांग संख्या 37 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री सभापति: 39वां भी बोल दें।

मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,43,46,05,000/- (तीन अरब तियालीस करोड़ छियालीस लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-39 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: बाबूलाल जी नागर।

मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति की प्रस्तुति

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32–गरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,06,72,07,000/- (तीन अरब छह करोड़ बहत्तर लाख सात हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 32 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पारित की जाए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति पारित की जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। इतनी महत्वपूर्ण अनुदान की मांगें आज सदन में प्रस्तुत की गई हैं, यह बड़ी दुखद घटना है कि प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के सदस्यगण आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मैं यह समझकर के चलता हूं यह सब कुछ जो कुछ है, यह सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए और अपना झूठा विरोध जाहिर करवाने के लिए यह सब कुछ नाटक किया गया है। हम पुरजोर रूप से इसकी आलोचना करते हैं कि वे क्यों नहीं शामिल हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ यहां पर गायब होकर बाहर बैठकर के इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बिना किसी कारण के, सदन में जिस प्रकार से प्रतिपक्ष की नेता ने जिस प्रकार से माननीय रघु शर्मा को जो धमकी दी है, हम पुरजोर मांग करते हैं कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी और जब तक वे माफी नहीं मांगेंगी, तब तक हम उनको माफ भी नहीं करेंगे और उनको यहां पर बोलने भी नहीं देंगे।

मांग संख्या-37 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,14,55,55,000/- (ग्यारह अरब चौदह करोड़ पचपन लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,43,46,05,000/- (तीन अरब तियालीस करोड़ छियालीस लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-32 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,06,72,07,000/- (तीन अरब छह करोड़ बहत्तर लाख सात हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

चिकित्सा मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में हुई प्रसूताओं की मौत पर कार्यवाही

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैंने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में हुई मौतों के सम्बन्ध में 10 मार्च को वक्तव्य देते हुए यह बताया था कि इस बारे में संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा जांच की जा रही है। उस जांच में जो प्रगति हुई, उसके बारे में सदन को अवगत करवाना चाहता हूं।

जोधपुर के अस्पतालों में प्रसूताओं की लगातार मृत्यु के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। Divisional Commissioner की रिपोर्ट में उनकी Preliminary findings के आधार पर-

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां))

1. Dr. Sumitra Boda, Head of Department, Gynecology & Obstetrics, Medical College, Jodhpur को supervisory negligence;
2. Dr. Ajay Malviya, Associate Professor Surgery, MO In-charge Stores, Mahatma Gandhi Hospital, दवाइयों की खरीद में अनियमितता; एवं
3. Dr. Mohan Makvana, Associate Professor Pediatrics, MO In-charge Stores, Ummaid Hospital, दवाइयों की खरीद में अनियमितता के आरोपों पर निलम्बित कर दिया गया है।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.44 बजे शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये,

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत चामू में सहायक कृषि अधिकारी व पंचायत समिति शेरगढ़, सेतरावा, चांदसमा, जेठानिया, खिरजा खास, तेना, चाबा, सोलकिया तलां, गड़ा सोइन्तरा में, पंचायत समिति बालेसर में ग्राम चामू, बेलवा, लोडता अचलावता, नाथडाऊ, बस्तवा, कनोडिया पुरोहितान, सेखाला, देवातु, केतु कलां, भालू कलां, बिराई, गोपालसर में कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में फसल बीमे का सरलीकरण व खेतों में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिये विशेष योजना पैकेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

3. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में विभाग द्वारा कृषि योजनाओं की क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में फसलों की खरीद प्रक्रिया को दुरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के किसानों को कृषि यंत्र सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में किसान आयोग द्वारा किसानों को अत्यधिक सुविधायें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

8. विधान सभा क्षेत्र नगर में किसानों को ओलावृष्टि से हुये नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

9. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कृषि भूमियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

10. नहरी क्षेत्र की डिग्गियों को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. फोर्म पोण्ड डिग्गियां आई.जी.एन.पी. नहरी क्षेत्र में स्वीकृत कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

12. राजस्थान राज्य के मण्डी प्रांगणों में निर्मित किसान भवनों को होटल व्यवसायियों को लीज/ठेके पर देने के संबंध में कृषि निदेशालय द्वारा जारी उक्त आदेश को किसान हित में निरस्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

13. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के किसानों को रियायती दर पर खाद, बीज एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के किसानों को कृषि उपकरण सस्ते एवं रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

15. विधान सभा क्षेत्र नावां के किसानों के लिये प्याज संग्रहण केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र नावां में कृषि चरागाहों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

17. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विस्तृत कृषि उत्पादन क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु कृषि सुपरवाइजर एवं अधिकारी पद पंचायत समिति बाप/फलौदी में स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. फलौदी में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में स्वीकृत कृषि अधिकारी एवं सुपरवाइजर का पद स्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. फलौदी में कृषि उत्पादनों की बढ़त को देखते हुये फल सब्जी मंडी एवं सोनामुखी मंडी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

21. जल एवं मृदा संरक्षण के लिये फार्म पोण्ड पर सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

22. किसानों को अपने खेतों की तारबंदी हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

23. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के जिला मुख्यालय पर अनाज व सब्जी मंडी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

24. नागौर जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

25. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में बाजरी के बीज प्रमाणित नहीं होने से किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में टमाटरों के भावों में व्यापारियों द्वारा मनमर्जी से खरीद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

27. विधान सभा क्षेत्र भीम के किसानों को फसलों के खराबे एवं अकाल पड़ने से हुये नुकसान का मुआवजा एवं बीमा राशि दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

28. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में हाईब्रिड बीज उत्पादन के लिये मोन्सेंटो, पायोनियर सिड्स, अडवन्ता सीड्स, कृषिधान जेके सिड्स, श्रीराम बायो सिड्स एवं कंचन ज्योति के साथ हुये एम.ओ.यू. को निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. पाली जिले में उद्यान विभाग द्वारा फार्म पाऊंड वालों को फलदार पौधे उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. पाली जिले में फार्म पाऊंड योजना केन्द्र से बने पाऊंड अपूर्ण होते हुये भी विभाग द्वारा भुगतान कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

31. राज्य में केरल की तर्ज पर किसान आयोग का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. नागौर जिले की डीडवाना तहसील के किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ 2009 की गलत क्रोप कटिंग करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों जिनकी जांच नागौर कलक्टर के पत्रांक 8930-36 दिनांक 28.12.2010 की गठित जांच कमेटी के अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित नहीं करने व किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. सीकर जिले की पंचायत खूड, सागलिया सामी, जाना व भीमा पंचायतों के किसानों को खरीफ 2009 की फसल की गलत क्रोप कटिंग करने वाले अधिकारियों को सजा नहीं देने व किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा राशि का भुगतान नहीं दिलवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. झुंझुनूं जिले की चिड़ावा तहसील के किसानों को खरीफ 2009 की फसल की गलत क्रोप कटिंग करने वाले अधिकारियों को सजा नहीं देने व किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा का भुगतान नहीं दिलवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

35. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में खरीफ फसल में हुये खराबे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

36. विधान सभा क्षेत्र सोजत में मेहन्दी कटाई पर आधुनिक यंत्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

37. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत रबी की फसल में बेमौसम की बरसात एवं ओलावृष्टि से हुई जीरा, सरसों, सौंफ की फसल एवं देशी लाल गेहूं की फसल में रोली से बुरी तरह फसल खराबे को प्राकृतिक आपदा मानते हुये किसानों को मुआवजा दिलाने एवं रबी का फसली ऋण माफी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 1,50,000/- की राशि का जल हौज निर्माण हेतु दिये जा रहे अनुदान 50,000/- के बजाय अनुदान राशि 75,000/- की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

39. विभाग द्वारा खरीफ 2010 में जिला प्रतापगढ़ में जनजाति कृषकों को नि:शुल्क मक्का बीज वितरण से बोई गई फसल की पैदावार नहीं होने से कृषकों को हुये आर्थिक नुकसान की भरपाई के संबंध में चर्चा के लिये।

40. प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर मिट्टी परीक्षण एवं जलवायु की जानकारी के लिये परीक्षण कार्यालय खोले जाने एवं प्रतापगढ़ जिले की पांचों तहसीलों में कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में बूंद-बूंद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई के विस्तार के लिये वर्तमान अनुदान की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. प्रतापगढ जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. प्रतापगढ़ जिले में किये गये भूमि उर्वरा शक्ति का सर्वेक्षण कार्य के आधार पर वर्ष 2011-12 में ग्राम स्तरीय मृदा स्वास्थ्य पैकेज आफ प्रैक्टिस कार्ड के माध्यम से कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

44. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में फार्म पोण्ड योजना के अन्तर्गत फार्म पोण्ड योजना की संख्या कम से कम तीस (30) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

45. कृषि उपज मण्डी खेड़ली जिला अलवर की आय से मण्डी क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. कृषि उपज मण्डी समिति खेड़ली जिला अलवर में सचिव द्वारा धर्मकांटे के पीछे अवैध निर्माण बनवाने में दोषी सचिव को सस्पेन्ड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

47. डीडवाना, चिड़ावा तहसील एवं दांतारामगढ़ पंचायत समिति की भीमा, सांगलिया, खुड सामी ग्राम पंचायतों के किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

48. राज्य के किसान हितों के खिलाफ विभाग द्वारा मोनसेंटो कम्पनी से एम.ओ.यू. करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

49. जिले में रिक्त कृषि अधिकारियों एवं कृषि पर्यवेक्षकों, कृषि विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. पटोदी, नबोड़ावेरा में नये कृषि पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा सहायक कृषि अधिकारी बायतू के रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा बायतू गौण मण्डी में शेड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

53. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिये विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के ग्राम खूड़नी, बठोठ, घासू में प्याज कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

56. अजमेर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. अजमेर फूल मंडी यार्ड को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कर दुकानों का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. अजमेर में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. फसल बीमा को ग्राम पंचायत स्तर पर इकाई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

60. किसानों को प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि, सूखा, बेमौसम की वर्षा, विभिन्न रोगों आदि) से बरबाद हुई फसलों का पर्याप्त मुआवजा दिलवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कृषि विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कृषि उपज मण्डी की डामर सडकों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बोई जाने वाली अरण्डी की फसल को मौसम आधारित बीमा में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कृषि उपज मण्डी सिवाना व समदड़ी को सुचारू रूप से चलाने की आावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

65. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में बिना मौसम हुई बरसात में हुये जीरे की फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

66. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जीरा मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

67. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में डिग्गीयों एवं ड्रिप प्रणाली पर

प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन जारी कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

69. श्रीगंगानगर जिले में कृषकों की डीएपी की उपलब्धता पूर्णत: सुनिश्चित करने एवं डीएपी हेतु हो रही परेशानियां को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में ड्रिप सिस्टम द्वारा सिंचाई पर विशेष अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ में अनूपगढ़ व घड़साना में कृषक विश्राम गृहों की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

73. बीजों के थैलों में तौल में कम पाये जाने तथा सरकारी एजेन्सी द्वारा आपूर्ति करने पर भी किसानों को हुये नुकसान के लिये मूल आपूर्ति एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. कृषि जिन्सों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था न होने से किसानों को हुये नुकसान की भरपाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. कृषि ऋणों के ब्याज की दरों को मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, कर्नाटक के बराबर करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. कृषि के लिये बजट में राज्य के क्षेत्र के आकार, स्थिति, बढ़ती लागतों के बावजूद राशि न बढ़ाये जाने (10 प्रतिशत से कम) से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. कृषि विपणन की सुविधा न बढ़ाने तथा मण्डी टैक्स की पर्याप्त प्राप्ति के बावजूद पावटा (जयपुर) में आधुनिक मण्डी यार्ड न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

78. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के बागों व सब्जी उत्पादन को तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिये पी.एच.डी. स्नातकोत्तर स्तर के अधिकारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कृषि कार्यों पर सौर ऊर्जा के लिये अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में बूंद-बूंद व फव्वारा सिंचाई पर देय अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नये बगीचे लगाने के लिये अनुदान की सीलिंग सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नये सूक्ष्म सिंचाई योजना में कृषकों को विभिन्न मदों पर दिये जाने वाले अनुदानों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

83. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में खाद की पूर्ति करने व समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

84. बांसवाड़ा जिले में उन्नत बीज समय पर सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरण करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

85. प्रदेश में फसलें नष्ट होने पर भी किसानों को राशि नहीं दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

86. बांसवाड़ा की कृषि मण्डी में किसानों का माल खरीदने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

87. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कृषि उपज मण्डी में फल बेचने वालों को दुकानें अलाट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कृषकों को खाद एवं बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में ओलावृष्टि से हुये नुकसान का धौलपुर जिले के किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

90. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ (अलवर) के किसानों को किस तरह का बीज/किस तरह की जमीन के लिये उपयोगी हो इसकी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. फसलों की बीजाई से पहले बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिये बहरोड़ में प्रयोगशाला खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कृषि को उन्नत करने के लिये कृषि केन्द्रों को स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कृषि के लिये फव्वारा सैट पर अधिक ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरकारी एजेन्सियों द्वारा खराब बीज देने के कारण किसान की खेती में हुये नुकसान का मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

95. राज्य के रेगिस्तानी बरानी क्षेत्र में उन्नत बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

96. हनुमानगढ़ जिले की नोहर-भादरा तहसील में एनएचबी के माध्यम से लगाये गये अनार के बागों पर हुये खराबे का नुकसान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

97. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में बीज व खाद वितरण में घोटालों की जांच कर कर्मचारियों को दण्डित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

98. राजस्थान के किसानों को रबी 2009-10 तथा खरीफ 2009 की खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. राजस्थान वेयर हाउस कारपोरेशन द्वारा अवैधानिक रूप से शुभम लोजस्टीक कम्पनी के साथ किये गये एम.ओ.यू. से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

100. राज्य में 70 प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है अतः ड्राई फार्मिंग को विकसित करना एवं इस अनुसंधान पर अधिक व्यय करके राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. मौसम आधारित बीमा में ओलावृष्टि शामिल करवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. दांतारामगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

103. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में डिग्गी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

104. धौलपुर जिले के बाजार में नकली खाद, दवा, बीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कृषि उपज मण्डी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. धौलपुर जिले में कृषि कार्य करते हुये दुर्घटनाओं में हुये अंग क्षति एवं मृत्यु के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर सहायता राशि देने एवं मुआवजा राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कृषि कार्यों में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों पर अनुदान राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. धौलपुर जिले में कृषि कनेक्शन दिलाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (उनियारा-देवली) :

109. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में फार्म पोण्ड आदि योजना संबंधी पत्रावलियों की स्वीकृति में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में सहायतार्थ अनुदान राशि योजना से क्रय किये जाने वाले बूंद-बूंद सिंचाई यंत्र आदि की खरीद पर पनप रही कमीशनखोरी रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में दलहन फसलों के बीज वितरण तथा अनुदान राशि में घोटालों की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जाने में विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में वनस्पति रक्षण के लिये कनवाड़ा (देवली) में हर्बल पार्क के लिये भूमि आबंटन किये जाने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में ट्रेक्टर आदि कृषि यंत्रों पर व्यावसायिक बैंकों की प्रतिस्पर्धा में सहकारी बैंकों की ब्याज दर कम किये जाने में सरकारी अनदेखी पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

114. कृषि में काम आने वाले उपकरणों में सब्सीडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

115. पाली जिले की कृषि उपज मंडी पाली में कृषि कार्य करते हुये मृत्यु हो जाने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. पाली जिले की रोहट तहसील में अक्टूबर माह 2010 में हुई बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

117. आदिवासी क्षेत्रों में जमीनों की जोत बहुत छोटी-छोटी है, उस पर खेती करना और खाद्यान्न पैदा करना किसी भी दृष्टि से लाभकारी नहीं, उसके स्थान पर फलदार पेड़ों को बढावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. किसानों को उसकी उपज का उचित दाम मिले, इसके लिये प्रत्येक जिले में वेयर हाउस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. कृषि अलाभकारी व्यवसाय होने के कारण इसका समय रहते निदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. किसानों को विभिन्न बैंक एवं सहकारी संस्थाओं से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

122. राज्य के किसानों द्वारा ग्रीन हाउस व अन्य तकनीकों के उपयोग से उत्पादित किये जाने वाले महंगे फूल, सब्जियां व फलों के विपणन के लिये बाजार विकसित करने और उन्नत कृषि को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विभाग द्वारा विदेशी बीज कम्पनियों के साथ किये गये करार पर पुनर्विचार किया जाकर पारदर्शिता व खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता के बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. कोटा संभाग की तहसीलों में नये भंडारगृहों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. मौसम आधारित बीमा योजना में मौसम के आंकड़ों के सत्यापन व अन्य विसंगतियों को दूर करके, प्रीमियम राशि में दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. कोटा संभाग में कृषि महाविद्यालय एवं फूड प्रोसेसिंग इंन्स्टीट्यूट, स्पाइस पार्क तथा धनिये, संतरा, आंवला, अनार की प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

127. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कृषि विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

128. किसानों के द्वारा सहकारी बैंक में अल्पकालीन लोन समय पर जमा नहीं कराने के कारण ब्याज राशि तीन गुणा लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मलखान सिंह (लूणी) :

129. विधान सभा क्षेत्र लूणी में कृषि अधिकारियों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

130. प्रदेश में फसली बीमा की दरों को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. दैनिक उपयोग की कृषि जींसों को वायदा कारोबार से हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. जोधपुर के खार उत्पादक किसानों के हितों के संरक्षण हेतु प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. प्रदेश में कृषि जींसों में स्थानीय किस्मों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. प्रदेश में गत दो वर्षों में विदेशी कम्पनियों से किये गये एम.ओ.यू. से आम किसानों में उपजी चिन्ताओं/शंकाओं के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

135. अनुसंधान हेतु मोन्सेंटों विदेशी कम्पनी से किये गये एमओयू के संबंध में चर्चा के लिये।

136. मौसम आधारित फसल बीमा योजना किसानों को खरीफ 2010-11 व रबी 2010-11 का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के किसानों को आर.के.वी.आई. में बीजों के वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. दुर्गापुरा कृषि फार्म को जयपुर मेट्रो को देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

139. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के काश्तकारों को कृषि विभाग के माध्यम से मशीनरी और साज-सामान/औजार एवं संयंत्र हेतु अनुदान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के काश्तकारों को तिलहन, दलहन, आइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना के अन्तर्गत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के काश्तकारों को बीज एवं रासायनिक दवाइयां घटिया किस्म एवं मिलावटी देने से काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के काश्तकारों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. चिड़ावा व सूरजगढ़ पंचायत समिति में भूमि की गुणवत्ता को बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

144. विभाग द्वारा चारे के बीज रिंजका, चरी आदि बीज की घटिया किस्म बेसमय खरीद, बेसमय वितरण व खरीद में हो रहे घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. डीडवाना क्षेत्र से वर्ष 2009 के दौरान शत प्रतिशत फसल खराबे के बावजूद उनकी बीमित फसलों का बीमा क्लेम नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

146. राज्य में कृषि विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

147. राज्य में उन्नत बीजों का उत्पादन बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

148. कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

149. करौली जिले के किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक बीज एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र करौली में कृषि उपज मण्डी समिति भूखण्डों की दरें कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

151. पेड़ी को वेट मुक्त कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. बून्दी में लाखेरी/के.पाटन में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

153. कृषि के लिये खाद एवं बीज को सही समय पर वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. सरकार द्वारा किसान को खाद एवं बीज पर दी जाने वाली सब्सीडी को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. सब्जियों पर दवाइयां छिड़कने के काम आने वाले उपकरण सरकारी स्तर पर निःशुल्क दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

156. फार्म पोण्ड स्कीम के लिये पर्याप्त मात्रा में लक्ष्य आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. कृषि संयंत्र एवं फव्वारा सेट हेतु पर्याप्त बजट आबंटित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

159. रासायनिक खादों से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने एवं उत्पन्न फसलों में रासायनिक दुष्प्रभावों को देखते हुये दूरगामी उपाय के रूप में जैविक खाद, देशी खाद के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. मोनसेंटों बीज कम्पनी की पूरे विश्व में बदनामी को देखते हुये और राजस्थान की पारम्परिक शुद्ध कृषि पद्धति को देखते हुये इस कम्पनी से हुआ करार रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. सब्जियों एवं फलों को पकाने एवं चमकीला बनाने के लिये उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण फैल रही गम्भीर बीमारियों को रोकने के लिये इन रासायनिक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

162. सीकर जिले में कीटनाशक दवाइयां व बीजों की खरीद में व्याप्त घोटलों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

163. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में फसल बीमे का सरलीकरण व खेतों में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिये विशेष योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र किशनगढबास के ग्राम बास कृपालनगर में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के किसानों को रियायती दर पर कृषि उपकरण एवं खाद बीज उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. किसानों को फसल बोने से पूर्व डी.ए.पी. खाद एवं बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. किसान क्रेडिट कार्ड समय पर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

168. बीज व कीटनाशक के किट वितरण में अनियमितता व पक्षपात को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

169. कृषि पर्यवेक्षक आवास गृह मय किसान सेवा केन्द्र गांव बोराणा, थला, भींटा, भोखुन्दा, डेलाना, भूणास, शिवरनी, सहाड़ा, नेगड़ीया खेड़ा, सुरावास, माझावास, अरनिया, नान्दशा, कारोई, गाडरकाला, ओटमाडा में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. रायपुर, कोशीपाल, पोटला, हमीरगढ़ में किसान सेवा केन्द्र भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

171. राज्य में कृषि खाद एवं बीज वितरण की माकूल व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

172. कृषि विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर लेक कृषि मंडी में विकास कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

174. जोबनेर (जयपुर) स्थित कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत कराने हेतु विभाग द्वारा पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. सांभर लेक (जयपुर) की गौण मंडी को जोबनेर, फुलेरा, नरेना व सांभर को मिलाकर नई कृषि मंडी सांभर लेक में स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के काश्तकारों को सस्ती दर पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

177. सरकार और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ बीजों के अनुसंधान और विकास पर हुये समझौता के संबंध में चर्चा के लिये।

178. सरकार द्वारा संचालित दलहन विकास परियोजना के तहत एण्डोसल्फान कीटनाशक खरीद में हो रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर) :

179. सायला में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर-ग्रामीण) :

180. ग्राम पंचायत हल्दिना में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

181. राज्य में कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिये किये जा रहे रसायनों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

182. विधान सभा क्षेत्र धोद के किसानों को सस्ती दर पर खाद, बिजली व कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये,

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन उप पशु चिकित्सालय बावरली, दुगर, डेरिया, गडा, जाटी भाण्डू, जिनजिनयाला कलां, ठाडिया, उटाम्बर, लोड़ता अचलावता, बिराई में स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उप केन्द्र बस्तवा, भालू राजवा खिरजा खास व सोइनतरा को पशु चिकित्सालय में एवं पशु चिकित्सालय नाथडाऊ, भूंगरा, चामू, खुडियाला को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा सहायक, पशु धन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

4. राज्य में पशुपालन योजनाओं की सरकार द्वारा अवहेलना करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में पशुपालन हेतु लोगों को अत्यधिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में युवाओं को डेयरी उद्योग में ऋण देकर युवाओं को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के पशु चिकित्सालयों को सुसज्जित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

9. विधान सभा क्षेत्र नगर के नगर कस्बे में पशु चिकित्सालय का भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

10. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पशु चिकित्सालय की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

11. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में नये पशु उप केन्द्र भागु का गांव, भीखोड़ाई, रातडिया स्वामीजी की ढाणी में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में पशु उप केन्द्रों बासनपीर, मदासर को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

13. विधान सभा क्षेत्र शिव में पशुओं पर रोजगार के लिये विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

14. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नये पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

15. विधान सभा क्षेत्र नावां में भेड बकरी पालकों को पालन पोषण हेतु ऋण दिलाकर लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र नावां में प्रत्येक पंचायत हैड क्वाटर पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र नावां में छोटे पशुपालकों को डेयरी लोन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र नावां में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय कुचामन सिटी में खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र नावां में नागौरी नस्ल के तीन वर्ष के बछड़ों पर अन्तर्राज्य व्यापार पर लगी रोक हटाने एवं नागौरी नस्ल पशुपालकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

20. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशुपालन के सब सेंटर व प्राथमिक पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

21. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नये उप पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में पशु चिकित्सालय खोलने एवं फलौदी पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

23. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गोबर की खाद एवं पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु गौवंश पर अमेरिकी एवं गुजरात की तर्ज पर सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

24. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

25. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने एवं पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

26. विधान सभा क्षेत्र भीम में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

27. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में नये पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

28. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पशु चिकित्सालयों में वेटेनरी डाक्टर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की डेयरी में दूध का समर्थन मूल्य तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंकशन की डेयरी में दूध देने वालों को पशु खरीद पर सब्सीडी एस.सी. को 33.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत एवं सामान्य को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के आसण जोधवन में ऊंटों में फैली बीमारी से मरे एक ही व्यक्ति के 14 ऊंटों का मुआवजा देने तथा ऊंटों में हो रही बीमारी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

32. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम गणाढ़ में पशु केन्द्र के भवन की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम भुवाला, माण्डोता में नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र धोद में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिये डेयरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

35. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

36. विधान सभा क्षेत्र सोजत के पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम चाड़वास के डेयरी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

38. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में वर्ष 2011-12 में पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान एवं बधियाकरण के कार्यक्रम में विभागीय कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

40. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के शहर पीलीबंगा में पशु चिकित्सालय के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

41. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में राजसमंद जिला पशु चिकित्सालय

नगरपालिका क्षेत्र से हटा कर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

42. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम नवातला (बालोतरा), नौसर (सिणधरी) परेऊ (बायतू) में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. पशु चिकित्सा उप केन्द्र बायतू भीमजी को पशु औषधालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. पशु चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

45. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधालय एवं औषधालयों को राजकीय चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के भवन रहित पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयो पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

49. ग्राम पटौली, तहसील एवं जिला करौली में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-दक्षिण) :

50. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के बालुपुरा ग्राम में नया पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. राजस्थान में स्थापित गौशालाओं को गौरक्षण के लिये अधिक आर्थिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. देशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अधिक कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. राजकीय बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय अजमेर के मुख्य नया बाजार में स्थित होने से बीमार पशुओं के लाने ले जाने में आ रही परेशानी के कारण चिकित्सालय को मुख्य बाजार से बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. पशु बीमा योजना को सरलीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

55. उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. पशु चिकित्सालय सिणधरी व समदड़ी को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पशु उप केन्द्र खण्डप व कुण्डल को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पंचायत मुख्यालय मजल, अजीत, रानी देशीपुरा, करमावास, सैला, कांरवी, दाखां, खारा महेचा, रामपुरा, काठाड़ी, सिलोर, भू का भगत सिंह, पर नवीन पशु उप केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

60. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में बुरहान का तला, केकड़ को पशु चिकित्सा उप केन्द्र से पशु चिकित्सा केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

61. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

62. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कालाडेरा में डेयरी के उत्पाद के नये उत्शीलन एवं प्रोडक्ट केन्द्र बनाने हेतु डेयरी द्वारा स्वीकृत परियोजना

जिसमें किसानों या पशुपालकों की अंश पूंजी की व्यवस्था के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. चरागाह भूमि की उपलब्धता के बावजूद हरी घास की व्यवस्था करने में सरकार की उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. विराटनगर के मेड क्षेत्र में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव में पशुधन की हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विशेष पिछड़ा वर्ग बाहुल्य ग्राम पंचायतों में एक भी उप पशु चिकित्सा केन्द्र न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विशेष पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र में पशु चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

67. राज्य में अच्छी नस्ल की दुधारू गायों भैंसों की तरफ रुझान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में पशुधन की सेहत का ध्यान रखते हुये नए पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. राज्य के किसानों को अपने पशु धन द्वारा प्राप्त दूध का उचित मूल्य मिले इसके लिये डेयरियों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

70. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम पिलरी व वसुनी में पशु चिकित्सालय न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पशुओं की चारा पानी की पूर्ण व्यवस्था करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

73. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पशु चिकित्सा कर रहे अप्रशिक्षित

व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

75. बहरोड़ पशु चिकित्सालय में पशुओं की सर्जरी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम डुमरोली, गीगलाना, परतापुर में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में दुग्ध की अधिकता को देखते हुये सरस डेयरी का प्लांट लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. राज्य में पशुपालन के लिये पशुपालकों को तुरन्त ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पशु औषधालयों में दवा नहीं मिलने के कारण पशुपालकों के पशुओं की अकाल मौत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

80. हनुमानगढ़ जिले की नोहर तथा रावतसर तहसीलों में नए पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

81. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में बड़ी संख्या में पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

82. राज्य की दुग्ध डेयरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण दूध उत्पादक किसानों एवं आम उपभोक्ताओं को हो रही हानि एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में बढ़ रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

83. राज्य में उपलब्ध गाय की देशी नस्ल थारपारकर, राठी इत्यादि की नस्ल सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. राज्य से बाहर बछड़े भेजने पर लगी रोक को हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की मंढा (मदनी) ग्राम पंचायत मुख्यालय में पशु स्वास्थ्य, उप केन्द्र खोलने एवं प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. सीकर, झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पलसाना सीकर के ठेका मजदूरों की पी.एफ. राशि मजदूरों के खाते में जमा नहीं करवाने एवं संस्था में हो रही अनियमितताओं की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

87. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम पाटा ग्राम पंचायत पाटा में, बगड़ राजपूत पंचायत ग्राम बगड़, ग्राम सैदमपुर, ग्राम नसवारी ग्राम पंचायत नसवारी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

88. राज्य में विलायती नस्ल के पशुओं के पालन को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

89. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में औरण एवं गोचर पशुधन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

90. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के बसेड़ी उपखण्ड पर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. बसेडी उपखण्ड के गांव-सलेमपुर, जारगा नादनपुर में प्राथमिक पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

92. महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की तरह राजस्थान में दुग्ध क्रय का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाने तथा सहयोग राशि स्वीकृति में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

93. डेयरी संघों तथा दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा संग्रहित मिलावटी दुग्ध संबंधी अपराधिक प्रकरणों के दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने में सरकारी अनदेखी पर चर्चा के लिये।

94. पशु चिकित्सालय बनेठा (टोंक) की आरक्षित भूमि पर चिकित्सालय भवन निर्माण में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

95. गौ संवर्धन के लिये निजी गौ पालकों को प्रोत्साहन राशि योजना प्रारम्भ की जाने में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

96. कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत कृषि संकाय प्रारम्भ किया जाने तथा महाविद्यालय देवली में कृषि संकाय चालू कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

97. उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड उदयपुर में वर्ष 2010 में हुई भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अधीन वैटनरी कालेज बल्लभनगर में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को दूध उत्पादन और डेयरी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. राजस्थान में पशुधन की तुलना में उसकी चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. राजस्थान के किसानों को दूध के मूल्य का प्रति फैट 4 से 4.25 रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

102. धौलपुर में पुराने पशु चिकित्सालय को सब्जी मण्डी से हटाकर नये भवन में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

103. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नये पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पशुओं की निरन्तर घटती संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में राजकीय भवन रहित पशु औषधालय के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पशु औषधलयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पशु औषधालय में दवाइयां, उपकरण एवं स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

108. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पशु चिकित्सालय पशु संख्या के अनुसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

109. सरस दूध में बदबू आने की मिल रही शिकायतों का शीघ्र समाधान कराने एवं जांच में दोषी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

110. कोटा संभाग में वेटेनेरी महाविद्यालय की स्थापना व ट्रेनिंग सेंटर (कोटा) में लेक्चरर थियेटर व कन्या छात्रावास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. कोटा शहर के बोरखेड़ा, अनंतपुरा, बडगांव सहित कोटा संभाग के विभिन्न भवन रहित पशुधन उप केन्द्रों में भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. कोटा शहर में मोखापाड़ा स्थित पशु चिकित्सालय में नयी अल्ट्रासोनिक मशीन की स्थापना एवं 12 वर्षों से खराब पडी एक्स-रे मशीन को सही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. राज्य में डेयरी व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये ऋण व अन्य प्रोत्साहन व अनुदान योजनाएं बनाने व उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. कोटा संभाग के बोटिनाकलां (सांगोद), श्रीराम नगर तापडिया (कनवास), रीछड़िया (खरोबाद), कुंडाल (बडोदिया, रावतभाटा) में पशुधन विकास केन्द्र खोलने व सुल्तानपुर, ईटावा, कैथून पशु चिकित्सालयों में वरिष्ठ चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

115. प्रदेश में डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिये कुशल मार्केटिंग पद्धति काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. प्रदेश में देशी एवं स्थानीय नस्लों के पशुओं को संरक्षण के लिये प्रभावी कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. सूरसागर क्षेत्र के पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने और सुविधा विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. सूरगसार क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं के मल मूत्र के उपयोग हेतु सार्वजनिक बायो गैस प्लांट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. प्रदेश की सरकारी डेयरियों के दूध में मिलावट और सिंथेटिक दूध बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

120. राज्य में देशी गोवंश के संवर्धन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

121. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में चारा तथा चरागाह विकास के लिये दाना चारा योजना हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के आम जन को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के माध्यम से सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पशु रोग नियंत्रण योजना के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र पिलानी हरियाणा राज्य के समीप आस-पास के गांवों में अच्छे नस्ल तथा गुणवत्ता के अनुरूप मुर्रा नस्ल सांड, भैंसा इत्यादि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में ग्राम पंचायत खुडानिया एवं देव रोड में पशु धन अधिक होने की स्थिति में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

126. विधान सभा क्षेत्र बगरू की आम जनता व जनप्रतिनिधियों, विधायकों द्वारा की जा रही आपति के उपरान्त घनी आबादी, मन्दिरों, स्कूलों, जैन तीर्थ स्थल व नये जयपुर के मुहाने पर मछली बाजार खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

127. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों तथा सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

128. जयपुर डेयरी के दूध के पाउडर प्लांट में कीड़े-मकौड़े पाये जाने पर शीघ्र जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

129. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित पशु चिकित्सा उप केन्द्रों उदयपुरिया ढोढसर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पशुधन बाहुल्य होने के कारण वंचित सभी ग्रामों में पशु उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित पशु उप केन्द्र भूतेड़ा को पशु औषधालय में क्रमोन्नत तथा पशु चिकित्सालय कालाडेरा को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

132. विधान सभा क्षेत्र करौली में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने एवं पशुधन सहायकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. करौली जिले के पशुपालकों को डेयरियां विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता एवं सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

134. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पशुओं के बीमार होने की स्थिति में दूध डेयरी पर दवा की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के ग्रामों में डेयरी खुली हुई है वहां पर खल, बिनोला आदि पर ज्यादा मात्रा में सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिये ग्राम में पशु चिकित्सक के पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

137. जहाजपुर क्षेत्र में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन सहायकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जहाजपुर क्षेत्र में भवन रहित पशु चिकित्सा केन्द्र के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. जहाजपुर क्षेत्र में बडला, कानपुरिया एवं टीकड़ में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. जहाजपुर क्षेत्र के ईटून्दा व धुंवाला में पशु औषधालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. जहाजपुर क्षेत्र में जालमपुरा एवं बोरानी में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

142. भारतीय नस्ल की देशी गायों की घटती संख्या एवं गौवध को देखते हुये प्राचीन प्राचीन नस्लों की गायों को बचाने एवं वृद्धि के लिये प्रयास के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

143. पशु चिकित्सालय में पशुपालक के ठहरने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. पशुपालन विश्वविद्यालय बीकानेर के 150 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. पशु विश्वविद्यालय बीकानेर में एम.आर.आई. डोबलर, Ambulatary Van की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. पशु चिकित्सालय बीकानेर पश्चिम क्षेत्र मुरलीधर व्यास नगर में

स्थित है परन्तु वह पशु चिकित्सालय गजनेर रोड, निजी गौशाला में चलाया जा रहा है, अतः चिकित्सालय मुरलीधर व्यास नगर में चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

147. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की डेयरियों में सिंथेटिक दूध पाये जाने पर डेयरियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये सरकार को आगे बढ़कर कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के पशुपालकों को बैंकों द्वारा कर्ज नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

150. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम गुणसार, लाडपुर, बघाना, पाटन अहीर, कतोपुर, माछरोली, जटियाना, मकड़ावा, नसोपुर, तिगांवा, नांगल सालिया आदि में पशु चिकित्सा खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र/पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने एवं पशुधन सहायक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. अलवर जिले में स्थापित गोशालाओं को गो-रक्षण के लिये अधिक आर्थिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में देशी नस्ल की गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु रिसर्च सेंटर एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र किशनगढबास में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

155. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में उप केन्द्र लाखोला को कानोज, नाथडियास में नया पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने एवं अन्य क्षेत्रों में उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

156. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में पशु मेलों में पशुपालक या अन्य कोई पशु लेकर आने पर इसकी जांच न करके ही Certificate or Mark मेले अधिकारी द्वारा जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में होने वाले पशु मेलों के संबंध में चर्चा के लिये।

158. गौशाला द्वारा संचालित एम्बुलेंसों के रोड टैक्स माफ कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

159. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में डेयरी एवं पशुपालन विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न कस्बों में पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल में डेयरी के चिलिंग प्लांट स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

162. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में देवीपुरा (त्रिवेणी) व नायण उप केन्द्र को राजकीय चिकित्सालय व खोरी व जगतपुरा में उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. भारतीय पशुपालन विकास एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा बेरोजगारों से अनुचित राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) :

164. कोटा लाडपुरा तहसील के गांव कोलाना में पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. कोटा के लाडपुरा तहसील के गांव अरण्डखेड़ा में पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

166. राज्य में पशुपालन विकास के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

167. पिपलिया एवं समिधी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

168. झुंझुनूं जिले में डेयरी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

169. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पशु चिकित्सालय के स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-32 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-32 मुख्य शीर्षक नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये,

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में ए.पी.एल. राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 35 किलो, गेहूं, चावल, चीनी, दालें, केरोसीन, कपड़ा, पाप-आयल आदि की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सस्ती दर पर वितरित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

2. विधान सभा क्षेत्र नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

3. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नागरिक आपूर्ति की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

4. जोधपुर जिले में रसोई गैस सिलेण्डर की आपूर्ति में अनियमितता एवं आपूर्ति में सुधार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

5. जैसलमेर जिले में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने एवं आबंटित गेहूं की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

6. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नई राशन दुकाने खोलने एवं गैस सप्लाई सुचारु करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

7. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में गैस आपूर्ति हेतु अन्य एजेन्सी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के प्रत्येक बड़े राजस्व गांव में राशन डीलर की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नये राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. फलौदी शहर के 30 वार्डों में पी डी एस व्यवस्था हेतु दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वा (सादुलपुर) :

11. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में राशन में देय मिट्टी तेल, गेहूं आदि के आबंटन व वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

12. विधान सभा क्षेत्र भीम में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

13. पी डी एस सिस्टम में सुधार करने हेतु नीमकाथाना में नई दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. पी डी एस सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

15. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में राशन डीलरों को अधिकारियों द्वारा नाजायज परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के ग्राम रिसाणीया में नई राशन दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

17. सीकर जिले की तमाम गैस एजेन्सीयों पर सरकारी दर पर गैस कनेक्शन जारी करवाने के लिये गैस आवेदकों के फार्म रसद विभाग में जमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

18. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में राशन की नई दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

19. विधान सभा क्षेत्र सोजत, रायपुर की 12 पंचायतों के विभिन्न गांव व ढाणियों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. सोजत नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड में उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सोजत में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

22. राज्य में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. राज्य में चलाये जा रहे ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिले में लिये गये नमूनों में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. वर्ष 2010-11 में प्रतापगढ़ जिले में उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

25. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के नगरपालिका क्षेत्र पीलीबंगा एवं रावतसर में गैस एजेन्सी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील रावतसर एवं पीलीबंगा में स्थित डेयरी एवं गांवों से दूध सप्लाई, जो मोटर साईकिल एवं साईकिल से करते हैं उनकी जांच जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारी की मौजूदगी में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

27. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी के अनुसार दो-दो पी डी एस डीलर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

28. विधान सभा क्षेत्र बायतू की मेराजोठियों की ढाणी (बाटाडू) में उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बायतू में ए.पी.एल. परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र बायतू के चम्पावेरी एवं इकराणी (गादेडी) में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

31. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नये राशन कार्ड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ए.पी.एल. नागरिकों का गेहूं का कोटा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

34. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में रसोई गैस वितरण व्यवस्था में जिला रसद अधिकारी एवं गैस एजेन्सी के तालमेल के अभाव में गैस उपभोक्ताओं को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के बी.पी.एल. के व अंत्योदय योजना के कार्डधारियों को 35 किलोग्राम से घटाकर 25 किलोग्राम प्रतिमाह गेहूं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के जिला रसद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से केरोसीन वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच के बाद भी दोषी पाये गये थोक केरोसीन विक्रेताओं के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वभौमिक करके सभी ए.पी.एल., बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को आवश्यक केरोसीन, दाल, अनाज, चावल, मसाले आदि आवश्यक खाद्य वस्तुएं उचित मूल्य पर वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान की विफलता एवं इस अभियान के तहत जांच में लिये गये नमूनों के प्रयोगशाला परीक्षण उपरान्त नमूने फेल होने पर भी विक्रेताओं के

विरुद्ध ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

39. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उचित मूल्य की दुकानों का प्रभावी निरीक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

40. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में प्रत्येक गांव में उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

41. श्रीगंगानगर जिले में बनाये गये नये बी.पी.एल. कार्डों पर राशन सामग्री नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के बी.पी.एल. कार्डधारियों का गेहूं, केरोसीन, चावल, चीनी बाजार में विभागीय मिलीभगत से बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून बनाने और अपराध को गैर जमानती बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में रिक्त पड़ी उचित मूल्य की दुकानों को आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

45. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गत दो वर्षों में हुए डिपो के निरीक्षण में पाई गई कमियों एवं की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 लीटर केरोसीन आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में 10 नये राशन व केरोसीन डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में दैनिक उपयोग की वस्तुएं राशन डिपो में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में केरोसीन एवं राशन डिपो की जानकारी के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

50. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नागरिक आपूर्ति की राशन इकाइयों की संख्या न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में एपीएल गेहूं की पिसाई करवाकर बेचने तथा कुल लागत महज मार्जिन मनी सरकारी खजाने में न जमा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आटा पिसाई मिलों को महंगी दर पर पिसाई करवाकर महंगा आटा बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विवेकाधीन कोटे से राशन डीलर बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में राशन वितरण में पारदर्शिता लाने एवं सहकारी समितियां होते हुए भी प्राइवेट डीलर से राशन वितरण करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

55. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में सरकार द्वारा शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

56. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में राजीव गांधी एल.पी.जी. केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की नगरपालिका क्षेत्र में 350 बीपीएल कार्ड वर्ष 2008 में बनने के पश्चात भी उन्हें गेहूं न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में बीपीएल कार्डधारियों को रियायती दर पर गैस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

59. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उपभोक्ताओं को नियमित गैस आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने से संबंधी चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

60. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बीपीएल परिवारों को समय पर आटा व

गेहूं नहीं देने एवं गेहूं को अधिकतर राशन डीलरों द्वारा बाजार में बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राशन डीलरों द्वारा केरोसीन राशन धारकों को नहीं देकर सीधा अन्य जगह बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. बहरोड़ तहसील में जनसंख्या को देखते हुये राशन की दुकान खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. अलवर जिले में राशन की दुकानों व नागरिक आपूर्ति कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. अलवर में अधिकारियों की मिलीभगत से नकली दूध, मावा, घी, मिठाई धड़ल्ले से निर्मित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

65. चूरू जिले में ए.पी.एल. का गेहूं वितरण निर्धारित मानदण्डों से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. राज्य में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार केरोसीन तेल का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

67. राज्य में महंगाई को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को केरोसीन 5 लीटर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. सीकर जिले में एल.पी.जी. गैस एजेन्सीयों के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच निरीक्षकों को देने के बाद एक वर्ष तक जांच पूर्ण नहीं करने वाले निरीक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के राशन विक्रेताओं के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर समुचित कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

71. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 3 राशन की दुकानें खोलने की आावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

72. गेहूं पिसाई में हुई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

73. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रसद विभाग द्वारा अवरोधक बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. विभाग द्वारा चलाये गये शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के संबंध में चर्चा के लिये।

75. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

76. जिला रसद अधिकारी द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे कार्य पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

77. घरेलू गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को गैस की टंकी निर्धारित समय पर उनके घर पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. बिना गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को चार लीटर केरोसीन के स्थान पर पांच लीटर केरोसीन प्रतिमाह उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. शहरी क्षेत्र के ए.पी.एल. परिवारों को आटे की जगह गेहूं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

80. शुद्ध के लिये युद्ध में जितने सैम्पल राजस्थान में एकत्र हुये उसकी तुलना में चालान व सजा का प्रतिशत नहीं के बराबर रहा, के संबंध में चर्चा के लिये।

81. जिला उदयपुर के सराड़ा पंचायत समिति में हजारों स्टेट बीपीएल की सूची में आने वाले लोगों को दो रुपया किलो का गेहूं पिछले कई महीनों से प्राप्त नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. राजस्थान में पिछले एक वर्ष में नकली घी बनाने की कई फैक्ट्रियों पर छापे मारकर अवैध घी एवं उसके निर्माण की सामग्री विभाग ने

जब्त की ऐसे मिलावटखोरों पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. बी.पी.एल. परिवारों को वितरण किये जाने वाले गेहूं को विभाग व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा खेमपुरा में प्रताप मार्केट लक्ष्मी उद्योग के गोदाम से बरामद होने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. राजस्थान में पिछले एक वर्ष में हजारों क्विंटल नकली मावा विभिन्न केन्द्रों पर पकड़ा गया लेकिन उन पर न तो मुकदमे दर्ज हो पाये और न विभाग सजा दिलाने में सफल हुआ के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

85. दाल एचं चावल का वितरण धौलपुर में उचित दर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

86. सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के लिये दुकानवार पृथक-पृथक राशन विक्रेताओं की नियुक्ति में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

87. उदयपुर जिले में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. उदयपुर जिले में विभाग में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. उदयपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. उदयपुर जिले में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

91. उदयपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर असमान खाद्य सामग्री वितरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

92. ए.पी.एल. परिवारों को दिये जा रहे 10 किलो गेहूं की मात्रा बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

93. उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

94. राज्य में मिलावट करने वालों से सख्ती से निपटने हेतु एवं मिलावटखोरों के खिलाफ तथा कम माप तोल से राशन सामग्री वितरण करने पर कठोर दण्ड दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. राज्य में मिलावटी सामग्री की शुद्धता से जांच करने हेतु नई चल प्रयोगशालाएं एवं प्रयोगशालाएं खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राज्य के जर्जर हो चुके 800 गोदामों में खाद्यान्न सड़ जाने से बचाव एवं गोदामों के रखरखाव की जिम्मेदारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. जयपुर शहर में समय-समय पर पेट्रोल, डीजल, केरोसीन में मिलावट रोकने हेतु नियमित जांच के लिये सतर्कता टीमें गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

99. कोटा संभाग में गैस कनेक्शन, गैस सिलेण्डर होम डिलीवरी सुनिश्चित करने व टोल फ्री नम्बर गैस सिलेण्डर पर अंकित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. राज्य में उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले केरोसीन की मात्रा प्रति राशन कार्ड 3 से 5 लीटर बढ़ाने व गेहूं की मात्रा 25 कि.ग्रा. से 35 कि.ग्रा. करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. राज्य में नये राशन कार्ड वार्ड कोड के अनुसार बनाने बाबत चर्चा के लिये।

102. राज्य में उपभोक्ताओं के संरक्षण व उनके प्रकरणों का तुरन्त निस्तारण करने व उन्हें न्याय दिलाने के लिये फास्ट ट्रेक न्यायालय

की तर्ज पर फास्ट ट्रेक फोरम व अन्य अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. कोटा संभाग में शहरी व ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में नई राशन डीलर दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

104. प्रदेश में आमजन की सार्वजनिक वितरण, गैस आपूर्ति आदि से संबंधित शिकायत के त्वरित निदान हेतु जिला स्तर पर हैल्प लाइन चालू कर दूरभाष पर शिकायत लिखवाने की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि अनुरूप नवीन राशन दुकानों की स्वीकृति एवं आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. राशन की जनोपयोगिता बढाने हेतु सुविधाएं, राशनिंग आइटम्स बढ़ाने एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रों पर माप-तोल, मूल्य वितरण ठगी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. पाम आयल से जन स्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर नुकसान के मद्देनजर राशनिंग में अन्य स्थानीय तेल उत्पाद वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

109. पिलानी विधान सभा क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में राशि देने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र पिलानी उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग व जिला फोरमों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय के लिये राशि उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में राजस्थानी राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

112. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बढ़ती आबादी को देखते हुए नई गैस एजेन्सियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

113. नागरिक आपूर्ति सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

114. ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

115. दर्ज फौजदारी प्रकरणों से प्रभावित राशन विक्रेताओं को विभाग द्वारा हतोत्साहित करने के स्थान पर प्रोत्साहित करने से उत्पन्न जनआक्रोश की अनदेशी पर चर्चा के लिये।

116. स्टेट बी.पी.एल. अन्न योजना तथा ऐसी अन्य योजनाओं में व्यय की जा रही राशि से उपभोक्ताओं के स्थान पर राशन विक्रेताओं के लाभान्वित होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

117. उपभोक्ता वस्तुओं के सही वितरण पर ध्यान नहीं देकर विज्ञापन, प्रचार और प्रसार के नाम पर किये जा रहे अनावश्यक व्यय को रोकने में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

118. विधान सभा क्षेत्र केशोवरायपाटन की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार आवश्यक वस्तु वितरण हेतु अतिरिक्त डीलर नियुक्त करने पर चर्चा के लिये।

श्री करण सिंह (छबड़ा) :

119. बारां जिले में ए.पी.एल. व बी.पी.एल. के लाभान्वित व्यक्तियों को समय पर गेहूं, केरोसीन दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

120. करौली शहर में रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र करौली के गांवों में ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को गेहूं एवं अन्य राशन सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

122. राशन डीलरों द्वारा केरोसीन की की जा रही कालाबाजारी को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराम समेजा (रायसिंहनगर) :

123. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के कस्बे रायसिंह नगर एवं श्री विजय नगर एवं ग्राम समेजा, गोमाताली, बाजूवाला, मुकलावा में गैस एजेंसी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

124. राशन डीलर की जांच के लिए पंचायतीराज के जन प्रतिनिधियों को अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. राशन वितरण में कालाबाजारी एवं वितरण में अनियमिततायें पाये जाने पर डीलर की डीलरशिप समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

126. प्रदेश में नवीन उचित मूल्य की दुकान के आबंटन पर रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नये राशन कार्ड नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

128. भीलवाड़ा शहर में कई वर्षों से लम्बित पडे नये राशन कार्ड बनाने हेतु प्रार्थना पत्रों के आधार पर त्वरित रूप से नये राशन कार्ड जारी करने हेतु चर्चा के लिये।

129. भीलवाड़ा शहर में रसोई गैस की कमी की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

130. खण्डेला व रींगस में संचालित गैस एजेन्सी द्वारा गैस सिलेण्डर डोर टू डोर सप्लाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

131. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में नये राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में रिक्त राशन की दुकानें आबंटित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राशन वितरण की कालाबाजारी रोकने व पुख्ता प्रबन्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

134. रसद विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

135. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के पांच हजार से अधिक की आबादी के कस्बों/गांवों में एक अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकान खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. राशन कार्ड बनाने हेतु जयपुर शहर में कलेक्ट्रेट स्थित सिंगल विंडो पर जिला रसद कार्यालय के कार्मिकों का अधिकतर समय अनुपस्थित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में मौजूदा नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों द्वारा जारी राशन कार्डों की यूनिट्स के हिसाब से आटे की सप्लाई करने के संबंध में।

138. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के फुलेरा, किशनगढ़-रेनवाल एवं जोबनेर कस्बों में नई गैस एजेंसी की स्थापना एवं गैस की आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

139. विराटनगर एवं शाहपुरा एपीएल एवं बीपीएल पंजीकृत राशनकार्डधारियों को वर्ष 2008 से जनवरी 2011 तक नियमानुसार राशन वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

140. राजस्थान के 33 में से 22 जिलों में पर्याप्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

141. राजगढ़ में एक और गैस एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

142. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में राशन की दुकानों में गेहूं, आटा, केरोसीन का वितरण सुचारु रूप से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

143. 500 की आबादी एवं मगरा क्षेत्र की दूरी के गांवों में नई राशन की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।